राज्यपाल ने दी राइट टू सर्विस एक्ट (आरटीएस) को मंजूरी

अब भारी पड़ जाएगा काम अटकाना

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मलाई पाने के लिए फाइल दबाना अब भारी पड़ेगा। बिहार राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक (राइट टू सर्विस बिल) को राज्यपाल देबानंद कुंवर ने मंजूरी दे दी है। अब जनता न तो दलालों व भ्रष्टकर्मियों के चक्कर में पड़ेगी और न ही पैरवी के लिए किसी रसूखवाले के पास जायेगी। काम अपने आप होगा।

इस कानून ने हरेक सरकारी काम की समय सीमा तय कर दी है। काम अटकाने वाले सरकारी कर्मी पर जुर्माने के साथ विभागीय कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। कानून के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यस्तरीय आयोग भी बनेगा। राज्य सरकार ने विधानमंडल के बजट सत्र में इस विधेयक को पास कराया था। राजभवन की हरी झंडी मिल जाने के बाद अब सरकार इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी करेगी। उसके बाद वैसे सभी अधिकारियों की परेशानी बढ़ जायेगी, जो आम आदमी की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उनसे जी-हुजूरी कराते हैं।

राइट टू सर्विस एक्ट में जाति, आवास, आय प्रमाण पत्र से लेकर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक की समयसीमा तय कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वाले दोषी अफसरों से प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना वसूलने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तक के प्रावधान किये गये हैं।

सरकारी काम और तय समय-सीमा

प्रमाण पत्र-रिपोर्ट कार्य	अफसर	निपटारा (दिन)
जाति प्रमाण पत्र	बीडीओ	15
आवास प्रमाण पत्र	बीडीओ	15
आय प्रमाण पत्र	बीडीओ	15
नया राशन कार्ड	एसडीओ	60
पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रभारी डॉक्टर	03
वृद्धावस्था पेंशन	बीडीओ	21
लाइसेंस कार्य	**अफसर**	**निपटारा (दिन)**
जविप्र दुकान	एसडीओ	30
खाद दुकान	जिला कृषि पदा.	30
बीज दुकान	अनु.कृषि पदा.	30
दाल-आटा मिल	मुख्य कारखाना अधी.	30
ईंट भट्ठा	जिला खनन पदा.	30
आरा मशीन	प्रमंडलीय वन पदाधिकारी	30
पुलिस सत्यापन कार्य	**अफसर**	**निपटारा (दिन)**
पासपोर्ट	थाना प्रभारी	07
आर्म्स लाइसेंस	थाना प्रभारी	07
नियुक्ति मामले	थाना प्रभारी	07
चरित्र प्रमाण पत्र	थाना प्रभारी	07

बिजली कार्य	अफसर	निपटारा (दिन)
एलटी कनेक्शन	कार्यपालक अभियंता	30
गलत बिलिंग	सहायक अभियंता	24 घंटा
फ्यूज मरम्मत (शहरी)	सहायक अभियंता	4 घंटा
फ्यूज मरम्मत (ग्रामीण)	सहायक अभियंता	24 घंटा
ब्रेक डाउन (शहरी)	सहायक अभियंता	6 घंटा
ब्रेक डाउन (ग्रामीण)	सहायक अभियंता	36 घंटा
परिवहन कार्य	**अफसर**	**निपटारा (दिन)**
ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	30
स्मार्टकार्ड में लाइसेंस बदलाव	डीटीओ	07
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस	डीटीओ	07
वाहन निबंधन	डीटीओ	07
टैक्स माफी	डीटीओ	30
फिटनेस सर्टिफिकेट	डीटीओ	10

बिहार राज्य सेवा देने की गारंटी कानून का प्रारूप तैयार है। इसमें सरकारी कार्यालयों में जन सरोकार से संबंधित हरेक काम की समय सीमा तय कर दी गयी है। राजभवन से फाइल लौटते ही सामान्य प्रशासन विभाग कानून के प्रारूप को मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेज देगा

दीपक कुमार, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग